



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



APPENDIX - IX


Mandatory Public Disclosure

A: **GENERAL INFORMATION:**


SL NO.	INFORMATION	DETAILS
1	NAME OF THE SCHOOL	ROORKEE PUBLIC SR SEC SCHOOL
2	AFFILIATION NO.(IF APPLICABLE)	3530098
3	SCHOOL CODE (IF APPLICABLE)	81131
4	COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE	HARIDWAR ROAD ROORKEE DIST- HARIDWAR ROORKEE UTTARAKHAND- 247667
5	PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION:	Mrs. BHAWNA TYAGI LLB LLM B.Ed
6	SCHOOL EMAIL ID	81131@cbseshiksha.in
7	CONTACT DETAILS (LANDLINE/MOBILE)	9356750681 , 01332-297616

B: **DOCUMENTS AND INFORMATION:**

SL NO.	DOCUMENTS/INFORMATION	UPLOAD DOCUMENTS
1	COPIES OF AFFILIATION/UPGRADATION LETTER AND RECENT EXTENSION OF AFFILIATION, IF ANY	yes
2	COPIES OF SOCIETIES/TRUST/COMPANY REGISTRATION/RENEWAL CERTIFICATE, AS APPLICABLE	yes
3	COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED, IF APPLICABLE, BY THE STATE GOVT./UT	yes
4	COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT, 2009, AND IT'S RENEWAL IF APPLICABLE	yes
5	COPY OF VALID BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE	yes
6	COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY	yes



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (भारत सरकार द्वारा प्रशासित, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्था)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



7	COPY OF THE DEO CERTIFICATE SUBMITTED BY THE SCHOOL FOR AFFILIATION/UPGRADATION/EXTENSION OF AFFILIATION OR SELF CERTIFICATION BY SCHOOL	yes
8	COPIES OF VALID WATER, HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES	yes

NOTE: THE SCHOOLS NEEDS TO UPLOAD THE SELF ATTESTED COPIES OF ABOVE LISTED DOCUMENTS BY CHAIRMAN/MANAGER/SECRETARY AND PRINCIPAL. IN CASE, IT IS NOTICED AT LATER STAGE THAT UPLOADED DOCUMENTS ARE NOT GENUINE THEN SCHOOL SHALL BE LABILE FOR ACTION AS PER NORMS.

C. RESULT AND ACADEMICS:

S.NO.	DOCUMENTS/INFORMATION	UPLOAD DOCUMENTS
1	FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL	yes
2	ANNUAL ACADEMIC CALANDER.	yes
3	LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC)	yes
4	LIST OF PARENTS TEACHERS ASSOCIATION (PTA) MEMBERS	yes
5	LAST THREE-YEAR RESULT OF THE BOARD EXAMINATION AS PER APPLICABILITY	yes

RESULT CLASS: X

S.NO.	YEAR	NO. OF REGISTERED STUDENTS	NO. OF STUDEITNS PASSED	PASS PERCENTAGE	REMARKS
1.	2021	129	129	100%	Out standing

RESULT CLASS: XII

S.NO.	YEAR	NO. OF REGISTERED STUDENTS	NO. OF STUDEITNS PASSED	PASS PERCENTAGE	REMARKS
1.	2021	61	58	100%	Out standing



"शिक्षा केन्द्र", 2, सायुदायिक केन्द्र, श्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092

Phone (off.) : 011-22509256-59, 22041807-08, Website: www.cbse.gov.in, www.cbse.nic.in



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)




D: STAFF (TEACHING)

S.NO.	INFORMATION	DETAILS
1	PRINCIPAL	01
2	TOTAL NO. OF TEACHERS	58
	o PGT	14
	o TGT	17
	o PRT	14
3	TEACHERS SECTION RATIO	1 -
4	DETAILS OF SPECIAL EDUCATOR	01
5	DETAILS OF COUNSELLOR AND WELNESS TEACHER	02

E: SCHOOL INFRASTRUCTURE:

S.NO.	INFORMATION	DETAILS
1	TOTAL CAMPUS AREA OF THE SCHOOL (IN SQUARE MTR)	6080.57.Mtr
2	NO. AND SIZE OF THE CLASS ROOMS (IN SQ FT/MTR)	30
3	NO. AND SIZE OF LABORATORIES INCLUDING COMPUTER LABS (IN SQ MTR)	12 20x24
4	INTERNET FACILITY (Y/N)	yes
5	NO. OF GIRLS TOILETS	12
6	NO. OF BOYS TOILETS	12
7	LINK OF YOUTUBE VIDEO OF THE INSPECTION OF SCHOOL COVERING THE INFRASTRUCTURE OF THE SCHOOL	-



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092

Phone (off.) : 011-22509256-59, 22041807-08, Website: www.cbse.gov.in, www.cbse.nic.in




10/15/2020

cbseaff.nic.in/cbse_aff/school/SchoolLettviw.aspx

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
Central Board of Secondary Education

संबंधता - Online School Affiliation & Monitoring System R-2.0



Contact Us

Grant Letter for:-EX-01736-2021

NO : CBSE/AFF/3530098 /EX-01736-2021/2020-21/

Dated: 03/10/2020

The Manager,
ROORKEE PUBLIC SENIOR SEC. SCHOOL
HARIDWAR ROAD ROORKEE DISTT. HARIDWAR UTTARAKHAND
UTTARAKHAND, HARIDWAR , 247667
(M: 1332297616)

Sub: Extension of General Affiliation up to Secondary/Senior Secondary Level - regarding
Ref: Application No. EX-01736-2021

With reference to your application on the subject cited above; I am directed to convey the approval for Extension of General Affiliation as per details given below:-

Affiliation No : 3530098
Affiliated for : Senior Secondary
Category : Extension of General Affiliation
Period of Extension of : 01.04.2020 to 31.03.2025

In view of current COVID-19 pandemic which has most severely affected the normal functioning of schools in the country, however, the school is pursuing to provide extension of affiliation so as to avoid any difficulty for the purpose of admission /registration/ obtaining loan/renewal of various safety certificates from appropriate state authorities.

Therefore, the competent authority of the Board after due consideration has accorded approval for extension of Affiliation based on details/data submitted by school in online application for a further period of 5 years subject to fulfilment of following conditions:

1. The school will follow the **RTE Act, 2009** and instructions issued thereon by the CBSE/Respective State /UT Govt. from time to time.
2. The School is required to apply on online for further extension of affiliation along with the requisite fee and other documents as per Rule 10.3 of Affiliation Bye Laws, 2018.
3. The school will also abide by the conditions prescribed, if any, by the State Government concerned as mentioned in certificate as per appendix III issued by District Education Officer (DEO) /equivalent officer
4. The school should ensure the strong governance and management of its activities in way of comprehensive and quantifiable planning in way of curriculum planning, infrastructure, resources, physical education, staff development and other co-curricular areas.
5. The school should go through the provision of **Affiliation and Examination Bye Laws and keep a copy there of** for reference purpose and also advised to visit CBSE websites i.e. <http://cbseacademic.nic.in/> & <http://cbse.nic.in/> for updates. The School is expected to see all circulars on these CBSE websites regularly.
6. The school will strictly adhere to all rules regarding safety of students including Fire fighting and Transportation, etc. Further, school will provide adequate facilities for potable drinking water and clean healthy and hygienic toilets with washing facilities for boys and girls separately in proportion to the number of students. The school will ensure that Fire, Building, health and sanitation and safe drinking water certificates are renewed from time to time, as per norms.
7. **Admission to the school** is to be restricted as per relevant rules of Examination Bye-laws and rule 2.4.5, 2.6.5, 7.1, 7.2, 8.4.2, 8.4.10 & other relevant rules of Affiliation bye laws.
8. The school is required to follow rule No.2.4.7 and 2.4.8 of Affiliation Bye Laws regarding Books and Quality of Education.
9. The number of sections may be restricted as per the Appendix V of the Affiliation Bye-Laws of the Board. For increase in number of sections, the School shall apply online to the Board as per rule 15.7 of Affiliation Bye laws.
10. The school shall be solely responsible for any legal consequences arising out of the use of school name/logo/society/trust or any other identity related to running of school affiliated to CBSE. The school shall also be liable to bear all legal charges incurred by the Board, if any, arising out of these circumstances.
11. The school must strive to promote conservation of environment on their campus through rain water harvesting, segregation of waste at source, recycling of organic waste, proper disposal of waste including electronic waste, use of energy saving and energy efficient electrical equipment, greening of campus, use of solar energy, education and awareness amongst children on environment conservation and cleanliness etc
12. The school shall submit their information through Online Affiliated School Information System (OASIS) as per details given in circular no. affiliation-06/2018 dated 24.04.2018. Link for OASIS is available on Board's website: www.cbse.nic.in
13. The optimum Section teacher ratio of 1:1.5 as well as student teacher ratio of 30:1 is to be maintained to teach various subjects and school shall appoint qualified and trained teaching staff on regular basis as per provisions of Affiliation Bye Laws of the Board.
14. Every affiliated school shall sponsor regularly its bonafide and eligible students in Boards Class X and Class XII examinations from the year mentioned while granting affiliation/up-gradation regularly without break or inform with reasons thereof in writing well in time about the non-sponsoring of the candidates.
15. Running of coaching institutions in the school premises in the pretext of providing coaching to the students for various examinations is not permitted by the Board. Strict action would be taken on defaulters.
16. The Manger and the Principal of the school shall be jointly responsible for the authenticity of the online/offline documents/ information/data submitted by the School to the Board.
17. Apart from rules to be adhered to by the school as mentioned above for drawing specific attention of the school authorities, the school authorities are required to acquaint themselves with all the rules contained in Affiliation & Examination Bye-laws and circulars/guidelines/notification issued by the Board from time to time. Any laxity in following rules/instructions of the Board will lead

This site is Designed and Developed by IT & Project Department CBSE.

school/SchoolLettviw.aspx

Page 5.1

SANDEEP AGARWAL
E-Stamp Vendor
L.N.-108/93, Tehsil Roorkee
Mob:9897062127





सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No. : IN-UK00266431933082R
Certificate Issued Date : 18-Jan-2019 04:50 PM
Account Reference : NONACC (SV)/ uk1226804/ HARIDWAR/ UK-HD
Unique Doc. Reference : SUBIN-UKUK122680402205445608742R
Purchased by : ROORKEE PUBLIC SR SEC SCHOOL
Description of Document : Article Miscellaneous
Property Description : NA
Consideration Price (Rs.) : 0
(Zero)
First Party : ROORKEE PUBLIC SR SEC SCHOOL
Second Party : NA
Stamp Duty Paid By : ROORKEE PUBLIC SR SEC SCHOOL
Stamp Duty Amount(Rs.) : 50
(Fifty only)



-----Please write or type below this line-----

APPENDIX – IV

AFFIDAVIT

I **Kudeep Kumar Tyagi** Son of **Shri P.C. Tyagi** age **47** (years), R/o **32-A Civil Lines, Roorkee, Manager** of the **Deep Educational Trust** running the **Roorkee Public Senior Secondary School** do hereby solemnly affirm and sincerely state as follows :

Kudeep Tyagi

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at www.shrestamp.com. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy, please inform the Competent Authority.


1. That **Deep Educational Trust** is a registered Society under the **Society Act**.
2. That the **Deep Educational Trust** is of Non-Proprietary Character.
3. That the school is being run as a community service and not as a business and that commercialization does not takes place in the school in any manner whatsoever.
4. That no part of income from the institution is being and will be diverted to any individual in the Trust / Society / Company / School Management Committee or to any other person/entity. The saving, if any, after meeting the recurring and non-recurring expenditure and contributions to developmental, depreciation and contingency funds, will be further utilized for promoting the school and extending the cause of education in the same school only.
5. That school is not paying any charges towards using name, motto, logo or any other non-academic activities to any other institution, organization or body.
6. That the school will not open classes under CBSE pattern particularly class IX/X/XI/XII and will not use CBSE name in any manner without obtaining affiliation.

That the Principal and Correspondent/Manager of the school has individually gone through the provisions contained in the affiliation and examination bylaws and the circulars issued by the Board from time to time. The school undertakes to abide by the provisions contained in the affiliation and examination byelaws directions issued from time to time and the aw o the land.

That the school will ensure compliance of all statutory requirements like EPF, ESI and Labour Laws etc. with respect to the school and staff of the school.

9. That the school will ensure that the building safety, fire safety, water safety, health and hygiene certificates are being issued or renewed by the concerned municipal or state authorities from time to time as per the prescribed term.
10. That the school will ensure that all required infrastructure is available with the school before starting classes.
11. That the school will ensure that sufficient number of qualified teachers as per the provisions contained in affiliation bye-laws are available with the school before starting classes.

Deep Educational Trust




- 12. That the school will follow the provisions related to fee contained in affiliation byelaws and will disclose the details of the fee to the students/parents every year before start of session without resorting to any hidden charges in the heads of the fee.
- 13. That the school will not coerce any student/parent to buy books/stationary/uniform from any particular shop.
- 14. That the school shall strive to make efforts for conservation of environment.
- 15. That the school will ensure that the school fulfills all essential requirements before applying for affiliation and will fulfill all other conditions post affiliation and comply with all the general rules as given in the affiliation byelaws or notified from time to time.

16. That the school will not start CBSE pattern classes without submitting a commencement certificate to the effect that the school has complied with all the conditions imposed by CBSE and the post-affiliation conditions contained in the affiliation byelaws along with general rules.

In case of school's application is under switch over category please include the following clause in the affidavit)

17. The State pattern classes IX to XII running prior to the affiliation to CBSE would be sponsored for the State Board Examination. State Pattern classes IX to XII will be closed in a phased manner. No admission will be taken in the State Board Pattern Class IX to XII after getting affiliation from CBSE. The State Board School will be discontinued after switchover to CBSE.



VERIFIED & ATTESTED
 (S.K. MAHESHWARI)
 Advocate & Notary
 Ph. No. 215 2006 Exp. Dt. 28/09/2020
 Cn. No. 142
 Roorkee, Distt. Hardwar, U.P.

IDENTIFIED BY
 18/11/19
 गिरीश चन्द्र त्यागी
 एडवोकेट
 UP-5196/200, UA-4004/04
 सिविल कोर्ट, रुड़की

Tuldeep Garg
 MANAGER
 Roorkee Public Sr. Sec. School
 Handwar Road, Roorkee
 Tuldeep Garg
 Roorkee Public Sr. Sec. School
 Handwar Road, Roorkee

पुष्पक

श्री अमोघ गंगुली,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2 समुदाय केन्द्र,
प्रौद्योगिक विकास नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 3 दिसम्बर, 1997

विषय:- स्कूली परीक्षाएँ स्कूल स्कूलों के द्वारा को सीधे/अधिकांश नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अन्यायित प्रमाण पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र मुझे यह रहने का निर्देश हुआ है कि स्कूली परीक्षाएँ स्कूल परीक्षा के द्वारा को सीधे/अधिकांश नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अन्यायित प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निर्माणाधिकृत प्रमाणपत्रों के अधीन आपरित नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत सीमाओं का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम एक प्रतिष्ठित स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा पारखट द्वारा संयोजित परीक्षाओं में विभिन्न स्तरों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्ण में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से शिक्षा पारखट से सम्बन्धता प्राप्त है तथा विद्यालय को सम्बन्धता केन्द्र/केन्द्र माध्यमिक शिक्षा पारखट/कोशिल फार दि. एम्प्लुमेंट स्कूल सर्वोपयोगी अनुसंधान नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस पर परीक्षाओं से सम्बन्धता प्राप्त होने को तर्क है पारखट से सम्बन्धता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 151 संस्था की संस्था के अधिकारियों को राजकीय सेवाओं में नियुक्ति के कर्तव्यों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए अन्य बच्चों नहीं दिये जायेंगे ।

[Signature]
MANAGER
Director Public In Sec. Dept.

[Stamp]
DIRECTOR PUBLIC IN SEC. DEPT.
LAKHNAU

4.6

Page 4.6

न्यायालय उप जिलाधिकारी/सहायक कलक्टर, प्रथम श्रेणी, रुड़की।

वाद सं०: 187/2010-11

अन्तर्गत धारा-143 ज०वि०अधि०
मौजा-कान्हापुर मु०, परगना व
तहसील-रुड़की, जिला-हरिद्वार।
उत्तराखण्ड सरकार

कुलदीप कुमार त्यागी

बनाम

नकल आदेश दिनांक 18.08.2011

प्रस्तुत वाद कुलदीप कुमार त्यागी व संदीप ककुमार त्यागी पुत्रगण प्रेमचन्द त्यागी, निवासी 32अ सिविल लाइन रुड़की द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 02.08.2011 के आधार पर योजित हुआ। वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में मौजा कान्हापुर मु०, परगना व तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार के खाता संख्या 28 के खसरा सं० 3 क्षे० 0.3530 है० भूमि को शैक्षणिक प्रयोजन हेतु अकृषिक घोषित करने हेतु अनुरोध किया गया है।


उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार रुड़की से आख्या प्राप्त की गई। तहसीलदार, रुड़की से प्राप्त आख्या दिनांक 02.08.2011 व नियम-135 पर आख्या प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि मौजा कान्हापुर मु०, परगना व तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार के खाता संख्या 28 के खसरा सं० 3 क्षे० 0.3530 है० भूमि में मौके पर रुड़की पब्लिक स्कूल के नाम से स्कूल बना है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य जिसमें मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि शामिल हैं, के प्रयोग में प्रयुक्त नहीं हो रही है, इसलिए उक्त को दृष्टिगत रखते हुए ऊपरिवर्णित भूमि को ज०वि०अधि० की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित करने की संस्तुति की गई।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तहसीलदार, रुड़की की आख्या दिनांक 02.08.2011 का अवलोकन किया गया। मौजा कान्हापुर मु०, परगना व तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार के खाता संख्या 28 के खसरा सं० 3 क्षे० 0.3530 है० भूमि में मौके पर कृषि कार्य जिसमें मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन बागवानी शामिल हैं, के प्रयोग में प्रयुक्त नहीं हो रही है। चूंकि उक्त भूमि का प्रयोग कृषि प्रयोजन हेतु नहीं किया जा रहा है बल्कि स्थल पर स्कूल बना है, इसलिए प्रश्नगत भूमि को ज० वि० अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार, रुड़की की आख्या दिनांक 02.08.2011 के आधार पर मौजा कान्हापुर मु०, परगना व तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार के खाता संख्या 28 के खसरा सं० 3 क्षे० 0.3530 है० भूमि को ज०वि०अधि० की धारा 143 के अन्तर्गत शैक्षणिक प्रयोजन हेतु अकृषिक घोषित किया जाता है। परवाना अमलदरामद जारी होंगे। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त अभिलेखागार में संचित होंगे।

दिनांक: 18.08.2011

245/2010-11
18/8/11
नकल प्रेषित करने का दिनांक 20/8/11
नकल जारी करने का दिनांक 20/8/11
स्टाम्प का भुगतान cf 13/08/11 लगया cf 23/08/11



ह०अ०/-
(एच०सी०काण्डपाल)
उप जिलाधिकारी/
सहायक कलक्टर, प्र०श्रे०
रुड़की।

सत्य प्रतिलिपि

20/8/11

न्यायालय
सहायक कलक्टर
रुड़की



निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 के नियम-17 के उपनियम (6) को देखें:

कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा०शि०) हरिद्वार।

पत्रांक : मान्यता (बे०)/आर०टी०ई०/ 4420-24

/2020-21

दिनांक 26-08-2020

सेवा में,

अध्यक्ष/प्रबन्धक/संस्थापक,
रूडकी पब्लिक सीनियर सैकेण्डरी स्कूल,
विकासखण्ड - रूडकी
जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

विषय:

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के उपनियम (6) के अर्न्तगत विद्यालय की मान्यता का औपबन्धिक प्रमाण पत्र।


महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गये निरीक्षण के आलोक में मान्यता समिति के बैठक दिनांक 28-07-2020 में लिये गये निर्णयानुसार आपके विद्यालयी, रूडकी पब्लिक सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, विकासखण्ड-रूडकी, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड को कक्षा 01 से 08 तक (अंग्रेजी माध्यम) की विद्यालय संचालन हेतु तीन वर्ष दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2023 तक अवधि के लिये औपबन्धिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रदत्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन में अधीन होगी -

- मान्यता किसी भी परिस्थिति में कक्षा-8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
- विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
- विद्यालय अपनी कक्षा-1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करेगा तथा उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिये भी किया जायेगा।
- उपरोक्त कम संख्या-3 पर वर्णित बच्चों के मामलों में विद्यालय को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 की उपधारा(2) के आलोक में निर्धारित राशि को प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिये विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालित करेगा।
- संस्था/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान/कैपिटेशन शुल्क प्राप्त नहीं किया जायेगा तथा किसी भी बच्चे की परीक्षा या उसके माता-पिता/अभिभावक का साक्षात्कार नहीं किया जायेगा।
- विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसको आय प्रमाण पत्र, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद प्रवेश तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों से या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर मना नहीं करेगा।
- विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जायेंगे-
(एक) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा;
(दो) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जायेगा;
(तीन) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिये किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी;
(चार) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 35 के उपनियम के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा
(छ) शिक्षकों की नियुक्ति अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) में उनके लिये निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षों के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे;
(सात) शिक्षक, अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) तथा नियमावली के नियम 31 में प्राविधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे; और
(आठ) शिक्षक, निजी-स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि (ट्यूशन) में संलग्न नहीं होंगे।
- विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्राविधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप में छात्रों का नामांकन करेगा।
- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत् होगा-
• विद्यालय-परिसर का क्षेत्रफल;
• कुल निर्मित क्षेत्र;
• खेल के मैदान का क्षेत्र;
• कक्षा-कक्षों की कुल संख्या;
• प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्ष;

26-8-20

- बालक तथा बाइकाओं के लिये अलग-अलग शौचालय;
 - पेयजल की सुविधा;
 - मध्याह्न भोजन के लिये रसोई-घर;
 - बाधारहित पहुँच;
 - शिक्षण अधिगम सामग्री / खेल-कूद उपकरण / पुस्तकालय की उपलब्धता।
11. इस मान्यता द्वारा केवल स्वीकृत परिसर में ही विद्यालय संचालित किया जायेगा। विद्यालय के नाम से अन्य कहीं विद्यालय संचालित नहीं होगा।
 12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शैक्षिक गतिविधियों हेतु किया जायेगा। इस भवन/संरचना या मैदान का उपयोग किसी प्रकार के व्यावसायिक कार्य हेतु नहीं किया जायेगा।
 13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबन्धित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गतिविधियाँ किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होंगी।
 14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये संचालित नहीं होगा।
 15. लेखा का अंकेक्षा एवं उसका प्रमाणकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। एक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजा जायेगी।
 16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 1133 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
 17. राज्य सरकार/मुख्य शिक्षा अधिकारी को द्वारा समय-समय पर माँगे गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से सम्बन्धित कठिनाइयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।
 18. यदि सोसाइटी के पंजीकरण के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाये।
 19. परिशिष्ट-चार के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।
 20. यदि विद्यालय द्वारा अधिनियम में दी गयी धाराओं की अवेहलना प्रमाणित होती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।
- उपरोक्त के अतिरिक्त यह कि—
- 1- यह कि शासनादेश संख्या 588/XXUTV-3/17/01(11) 2017 के अनुपालन में जनपद के अन्तर्गत समस्त विद्यालय किसी भी छात्र/छात्रा के विद्यालय में प्रवेश हो जाने के उपरान्त प्रवेश शुल्क दोबारा न लिया जाये तथा कोशन मनी के नाम से कोई धनराशि न ली जाये साथ ही आपको निर्देशित किया जाता है कि यदि अभिभावकों/छात्र-छात्राओं से ऐसा कोई शुल्क लिया गया हो तो वांछित धनराशि अभिभावकों को तत्काल वापस की जाये।
 - 2- पाठ्य पुस्तकें और गणवेश आदि विद्यालय प्रांगण में टेन्ट लगाकर नहीं बेची जायेंगी।
 - 3- जिला परियोजना कार्यालय-सर्व शिक्षा अभियान हरिद्वार द्वारा उपलब्ध कराये गये "डायस" प्रपत्र को भरना अनिवार्य होगा।
 - 4- अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार यह मान्यता तीन वर्ष के लिए प्रदान की गयी है, उक्त अवधि समाप्त होने से पाँच माह पूर्व पुनः मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र स्वयं विद्यालय/संस्था को करना होगा। आवेदन न करने की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय/संस्था का होगा।

भवदीय,

 डा०(आनन्द भारद्वाज)
 जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)
 हरिद्वार।

पृ०सं० : मान्यता (बे०)/आर०टी०ई०/4420-24 /2020-21 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार।
- 2- जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार।
- 3- जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, हरिद्वार।
- 4- उप शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित विकासखण्ड जनपद हरिद्वार।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)
 हरिद्वार।

Alberdik 'F'

देहरादून।

दिनांक: अप्रैल, 27/2/2020

उत्तराखण्ड

महानिदेशक

पुलिस

संख्या-डीजी-आठ-156 / 2020 (4)

वा में,

Shree

1- पुलिस उपमहानिरीक्षक, / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,

देहरादून।

2- समस्त वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक,

उत्तराखण्ड राज्य।

विषय-

अग्निशमन एवं आपात सेवा की विभागीय वेबसाइट [www. ukfireservices. com](http://www.ukfireservices.com) पर ऑनलाईन प्राप्त होने वाले अग्निशमन अनापत्ति सम्बन्धी आवेदनों के नवीनीकरण विषयक:-

कृपया उपर्युक्त विषयक जैसा विहित है, कि कोरोना वायरस (COVID-19) वैश्वक माहमारी के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं / चुनौतियों का पुलिस विभाग के विभिन्न श्रेणियों / शाखाओं द्वारा लगन और निष्ठा से अपना योगदान दिया जा रहा है।

उक्त सम्बन्ध में अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग के भी अधिकारियों / कर्मचारी उक्त ड्यूटी में कार्यरत हैं। जिस कारण अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने से पूर्व साईटों का स्थलीय निरीक्षण किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है, तब निवेशकर्ता / आवेदकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये निर्देशित किया जाता है, कि मार्च 2020 तथा उसके पश्चात जिन अनापत्ति प्रमाण पत्रों की वैधता समाप्त हो रही अग्रिम आदेशों तक उनकी वैधता अवधि 30 जून 2020 तक बढ़ायी जाती है। तदनुसार अप अग्निशमन मुख्य / अग्निशमन अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(एन0एस0 नपलब्याल)

पुलिस उपमहानिरीक्षक,

अग्निशमन एवं आपात सेवा,

पुलिस मुख्यालय उत्तराखण्ड

देहरादून।

प्रतिलिपि पुलिस महानिरीक्षक, अग्निशमन एवं आपात सेवा, उत्तराखण्ड को सादर सूचनाार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि समस्त मुख्य / अग्निशमन अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य को अनुपालनार्थ।

Appendix 'c'

APPENDIX-VIII


PERFORMA REGARDING SAFE DRINKING WATER AND SANITARY CONDITION CERTIFICATE

No. 11

Date: 18-05-2020

It is certified that an inspection team headed by Dr. VIKRANT SIROHI, Sr. Medical Officer of health (Name of Officers with designation) from Nagar Nigam, Roorkee (Name of Department/ Office) inspected the Roorkee Public Senior Secondary School, Roorkee (Name & Address of the school) on 18/05/2020 and found that the Roorkee Public Sr. Sec. School, Roorkee (Name of school) has safe drinking water facilities and members of the institution and is maintaining the hygienic sanitation condition in the school building and the campus as per the norms prescribed by the central/state/U.T Govt.

The above valid for period of One Year

Signature with seal: 

Name: डॉ. विक्रान्त सिरोही

Designation: वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, रूरkee

To

PRINCIPAL

Roorkee Public Senior
Secondary School
Hareidwal Road, Roorkee

(Name and Address of the Institution)

कार्यालय जलकल अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, रुड़की।

10/10/20

प्रबन्धक रुड़की पब्लिक सी0से0 स्कूल,
हरिद्वार रोड रुड़की।

पत्रांक- 1357 /अनापत्ति प्रमाण पत्र/2020-21

दिनांक- 10/5/2020

विषय:-विद्यालय के जल प्रबन्धन का निरीक्षण व प्रमाण पत्र जारी करना।

महोदय,

आपके पत्र दिनांक 12.03.2020 जो जल संस्थान मुख्य अधिकारी नगर निगम रुड़की को सम्बोधित एवं इस कार्यालय में दिनांक 16.05.2020 को प्राप्त हुआ है, के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपर सहायक अभियन्ता (जल) रुड़की के द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिनकी आख्यानसार रुड़की पब्लिक सी0से0 स्कूल हरिद्वार रोड रुड़की में विभाग की कोई भी पेयजल संज्ञा नहीं है।

अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत की जा रही है कि रुड़की पब्लिक सी0से0 स्कूल हरिद्वार रोड रुड़की द्वारा भू-जल दूषित नहीं किया जायेगा एवं वेस्ट वाटर हेतु उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के मानकों के अनुरूप व्यवस्था करनी होगी।

भवदीय,

(राजेश कुमार निर्वाल)

जलकल अभियन्ता



पत्रांक : 897/12

दिनांक : 20.05.2020

सेवा में,

मैनेजर,
रुड़की पब्लिक सीनियर सेकण्डरी स्कूल,
रुड़की, जिला हरिद्वार।

विषय : विद्यालय भवन के सुरक्षित होने का प्रमाण पत्र।

संदर्भ : आपका पत्रांक RPS/AFF/CBSE दिनांक 19.05.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में आपके द्वारा स्कूल भवन के सुरक्षित होने का प्रमाण पत्र हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके क्रम में स्कूल भवन का प्रमाण पत्र संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न : प्रमाण पत्र मूल में।


(सत्यवीर सिंह त्यागी)


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
रुड़की

प्रमाण पत्र


प्रमाणित किया जाता है, कि रूड़की पब्लिक सीनियर सैकण्डरी स्कूल, हरिद्वार रोड़, रूड़की का दिनांक 20.05.2020 को निरीक्षण किया गया। स्कूल भवन के Visually निरीक्षण के दौरान भवन के स्ट्रक्चर में कोई भी कमी दृष्टिगोचर नहीं हुई है, जिससे भवन के सुरक्षित होने पर कोई संशय उत्पन्न होता हो।

अतः Visual निरीक्षण के आधार पर प्रमाणित किया जाता है, कि भवन स्कूल के संचालन हेतु सुरक्षित है।


(सत्यवीर सिंह त्यागी),
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रूड़की




FRONT ELEVATION




SECTION ON A-A'

- FIRE SYSTEM :-**
1. F.E - A.B.C TYPE FIRE EXTINGUISHERS TO BE PROVIDED, 7 NOS. CAPACITY 4.0 KG.
 2. F.E - A.B.C TYPE FIRE EXTINGUISHERS TO BE PROVIDED, 2 NOS. CAPACITY 4.5 KG.
 3. - FIRE REEL.


FOR OFFICE USE ONLY :-




KEY PLAN





FIRST FLOOR PLAN




SECOND FLOOR PLAN



FOUNDATION DETAIL (N.L.S)



GROUND FLOOR PLAN



KEY PLAN

SCHEDULE OF DOORS WINDOW & VENTILATOR :-

S.NO.	INDICATOR	NAME	SIZE
1.	D	DOOR	
2.	D1	DOOR	7'-0" X 8'-0"
3.	W	WINDOW	7'-0" X 7'-0" 10'-0" X 6'-0"

- SPECIFICATIONS :-**
- * FOUNDATION SHALL BE IN 1:2:4 CEMENT CONCRETE
 - * FOUNDATION MORTAR SHALL BE IN 1:6 CEMENT MIX
 - * D.P.C. SHALL BE 2.5 CM THICK IN 1:2:4 CEMENT
 - * SUPER STRUCTURE SHALL BE IN FIRST CLASS BRICK WORK AND 1:4 OR 1:6 CEMENT MORTAR
 - * PLASTER SHALL BE IN 1:3 AND 1:4 CEMENT MIX
 - * SAL WOOD SHALL BE USED FOR FRAMES
 - * SHISHAM WOOD SHALL BE USED FOR PANELS

SCHEDULE OF AREA :-

TOTAL PLOT AREA	=	44707.80 sqft, 4155.00 sqm.
COVD AREA (G.F)	=	7792.84 sqft, 724.24 sqm.
COVD AREA (F.F)	=	7792.84 sqft, 724.24 sqm.
COVD AREA (S.F)	=	7792.84 sqft, 724.24 sqm.
COVD AREA (MUMTY)	=	274.00 sqft, 25.46 sqm.
TOTAL COVD AREA	=	23652.52 sqft, 2198.18 sqm.

GROUND FLOOR COVD AREA PERCENTAGE = 17.83 %

BUILDING PLAN FOR ROORKEE PUBLIC Sr.

SEC. SCHOOL HARIDWAR ROAD ROORKEE

SITUATED SITE AT :- KH. NO. 362, VILLAGE

KANHPUR MUSTHAKAM PARG. & TEH.

ROORKEE, DISTT. HARIDWAR.

SIGN. OF OWNER	DRAWN BY

भाषेनी जॉर वरि पूरि नै विद्यालय भाषेनिक विद्या परिषद ते देवि
 विद्या वारणसि ते मान्यता प्राप्त हे तथा विद्यालय को स विद्यता
 विद्यालय भाषेनिक विद्या वारणसि/कोशिक कार वि विद्यालय
 सजीविते उवाचिनेन वरि

मुख्य

नं-10(2) / सीएफओ-आर / 20

अग्निशमन

अधिकारी

हरिद्वार।

दिनांक : जून - 08 - 2020

सम्बन्धक / प्रशानाचार्य
रुड़की पब्लिक सीनियर सैकेन्डरी स्कूल
हरिद्वार रोड, रुड़की, जनपद हरिद्वार।

विषय:

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में।

कृपया आपके आवेदन युनिक नम्बर-33593068, दिनांक 02.06.2020, जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त हुआ है, के अनुसार रुड़की पब्लिक सीनियर सैकेन्डरी स्कूल हरिद्वार रोड, रुड़की, जनपद हरिद्वार की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभाषी फायर स्टेशन रुड़की अग्निशमन द्वितीय अधिकारी से निरीक्षण कराया गया। प्रभाषी फायर स्टेशन रुड़की को निरीक्षण आख्या दिनांक 06.06.2020 के अनुसार निरीक्षण के दौरान अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था-ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर 04 किग्रा10 क्षमता-11 अदद, सी0ओ0टू0 फायर एक्सटिंग्यूशर 4.5 किग्रा10 क्षमता-01 अदद, होजरील-02 अदद, टेरिस टैंक 500 ली0 क्षमता-01 अदद, सडमरफिसवेल पम्प का कार्यशील दशा में होना अंकित किया है।


निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय भवन का विस्तार/अन्य तलों का निर्माण करने पर तदनुसार अलग से अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। अग्निशमन व्यवस्था समय-2 पर चैक कर सदैव कार्यशील दशा में रखी जाये, अकार्यशील पाये जाने पर तत्काल कार्यशील करा ली जाये, स्थानीय थाना/अस्पताल/फायर स्टेशन हरिद्वार के टेलीफोन नं0 01334-285600/101 को भवन के मुख्य स्थान पर अंकित किया जाये तथा अग्निशमन व्यवस्था सम्बन्धी Layout Plan भी प्रवेश द्वारा पर उपलब्ध रखा जाये, एन.बी.सी. के भाग-4 में उल्लिखित मानको के अनुसार अग्निशमन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखा जाये तथा संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों को अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने से पूर्व रिफिल करवाये जाना अनिवार्य है यदि कतिपय कारणों से अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकरण होने के उपरान्त रिफिलिंग तिथि पर फायर एक्सटिंग्यूशर रिफिल नहीं किये जाते तो प्रदत्त प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाये।

अतः प्रभाषी फायर स्टेशन हरिद्वार अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की संस्तुति आख्या तथा उपरोक्त अनुबंध के साथ रुड़की पब्लिक सीनियर सैकेन्डरी स्कूल, हरिद्वार रोड, रुड़की, जनपद हरिद्वार को उपलब्ध अग्निशमन उपकरणों का कार्यशीलता प्रमाण पत्र निर्गत तिथि से एक वर्ष हेतु इस उपबन्ध के साथ जारी किया जाता है कि यदि आकस्मिक निरीक्षण के दौरान दिये सुझाव के अनुरूप व्यवस्था का होना नहीं पाया जाता है एवं किसी प्रकार की लापरवाही/तकनीकी खराबी के कारण अग्नि दुर्घटना के समय अग्निशमन उपकरण कार्य नहीं करते हैं तो पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धन का होना तथा प्रदत्त प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

हरिद्वार

प्रतिलिपि: प्रभाषी फायर स्टेशन हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(नरेंद्र सिंह)
08/06/20

FOR OFFICE USE ONLY

SCHEDULE OF DOORS WINDS
S.NO. INDICATOR

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

SPECIFICATIONS:-

• FOUNDATION SHALL BE IN 124
• FOUNDATION WORKS SHALL BE
• D.P. SHALL BE 2.5 CM THICK IN
• SUPER STRUCTURE SHALL BE
• WORK AND 14 CM IN 13 AND 15
• PLASTER SHALL BE USED IN
• SHIPWAY WOOD SHALL BE USED

SCHEDULE OF AREA

TOTAL PLOT AREA

COVD AREA (G.F)

COVD AREA (F.F)

COVD AREA (S.F)

COVD AREA (MUMTT)

TOTAL COVD AREA

GROUND FLOOR COV

BUILDING PLAN B

SEC. SCHOOL H

SITUATED SITE A

KANHAPUR MUST

ROORKEE, DISTT

SIGN. OF OWNER





सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttarakhand

e-Stamp

SANDEEP AGARW
E-Stamp Vendor
C.N.-108/93, Tehsil Roorkee
Mob:9897062127

Certificate No. : IN-UK52911209259457R
Certificate Issued Date : 17-Dec-2019 01:50 PM
Account Reference : NONACC (SV)/ uk1226804/ HARIDWAR/ UK-HD
Unique Doc. Reference : SUBIN-UKUK122680408363315024281R
Purchased by : KULDEEP TYAGI MANAGER ROORKEE PUBLIC SR SEC SCHOOL
Description of Document : Article 4 Affidavit
Property Description : NA
Consideration Price (Rs.) : 0
(Zero)
First Party : KULDEEP TYAGI MANAGER ROORKEE PUBLIC SR SEC SCHOOL
Second Party : NA
Stamp Duty Paid By : KULDEEP TYAGI MANAGER ROORKEE PUBLIC SR SEC SCHOOL
Stamp Duty Amount(Rs.) : 10
(Ten only)



Please write or type below this line

शपथ पत्र

समक्ष

श्रीमान सक्षम अधिकारी /

मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार।

शपथ पत्र ओर से—कुलदीप त्यागी पुत्र श्री प्रेमचन्द त्यागी प्रबन्धक
रूडकी पब्लिक सीनियर सैकण्ड्री स्कूल रूडकी हरिद्वार रोड रूडकी
निवासी 32 ए—सिविल लाईन रूडकी तहसील रूडकी जिला हरिद्वार।

Kuldeep Tyagi

मै शपथकर्ता शपथ पूर्वक निम्न लिखित ब्यान करता हूँ कि—


- 1—यह कि मेरा उपरोक्त नाम व पता व पद सब सच व सही है।
- 2—यह कि शपथकर्ता रुडकी पब्लिक सीनियर सैकण्ड्री स्कूल रुडकी का प्रबन्ध समिति का प्रबन्धक है प्रबन्ध समिति मे सदस्यों मे आपस मे किसी भी तरह का कोई भी वाद विवाद नही है।
- 3—यह कि उक्त प्रबन्ध समिति मे किसी भी तरह का वाद विवाद होता है तो उसका जिम्मेदार शपथकर्ता होगा।

मै शपथ पूर्वक ब्यान करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र का पैरा न0 1 ता 3 मेरे निजी ज्ञान व विश्वास मे सब सच व सही है सच बोलने मे ईश्वर मेरी मदद करे।

दिनांक—17—12—2019

ह0 *Kuldeep Singh*

Kuldeep Singh
ह0 शपथकर्ता
MANAGER
Roorkee Public Sr. Sec. School
Hardwar Road, Roorkee



IDENTIFIED *गिरीश चन्द्र त्रिपाठी*
Girish Chandra Tripathi
17/12/19
गिरीश चन्द्र त्रिपाठी
एडवोकेट
UP-5196/200, UA-4004/04
सिविल कोर्ट, रुडकी

VERIFIED & ATTESTED

S.K. Maheshwari
(S.K. MAHESHWARI)
Advocate & Notary
Reg.-4215 2006 Exp. Dt.-26/09/2021
Cn. No.-142
Roorkee, Distt. Hardwar